

न्यायालय अपर समाहत्ता, राँची

विविध वाद सं0-23/2007-08

महेन्द्र साहू बनाम राज्य सरकार
विविध वाद सं0-24/2007-08

राम प्रसाद महतो बनाम राज्य सरकार
विविध वाद सं0-25/2007-08

कौशल्या देवी बनाम राज्य सरकार
विविध वाद सं0-26/2007-08

डमरी राम सिंह बनाम राज्य सरकार

आदेश

23-07-2008

इन चारो अभिलेखों की सुनवाई एक साथ की गई क्योंकि सभी अभिलेख अंचल कॉके के मौजा दुबलिया, खाता सं0-47 और खेसरा सं0-1496 से संबंधित है।

<u>अभिलेख सं0</u>	<u>मौजा</u>	<u>खाता</u>	<u>खेसरा</u>	<u>रक्बा</u>
23/07-08	दुबलिया	47	1496	2.55 ए0
24/07-08	दुबलिया	47	1496	2.55 ए0
25/07-08	दुबलिया	47	1496	5.00 ए0
26/07-08	दुबलिया	47	1496	5.00 ए0

उपरोक्त खाता संख्या 47 खेसरा 1496 खतियान में गैरमजरुआ मालिक दर्ज है और इसका कुल रक्बा 15.10 एकड़ है। खतियान में भूमि परती कदीम दर्ज है। जमाबन्दी रैयत महेन्द्र साहू रामप्रसाद महतो, कौशल्या देवी और डमरी राम सिंह ने अपने-अपने अभ्यावेदन में यह कहा है कि उनका नामांतरण कमशः वाद सं0-799आर.27/90-91, 802आर.27/90-91, 803 आर.27/90-91 और 800आर.27/90-91 के आधार पर जमाबन्दी खोला गया है। उनका यह भी कहना है कि वर्ष 93-94 तक अंचल से मालगुजारी वसूली की गई है लेकिन उसके बाद रसीद काटना बन्द है।

उनके द्वारा अभ्यावेदन में यह भी लिखा गया है कि अपर समाहत्ता, राँची के पत्रांक-114(II) दिनांक-22.01.2003 के द्वारा उपरोक्त जमाबन्दी को स्थगित कर दिया गया है।

आवेदकों ने अपने अभ्यावेदन में यह भी कहा है कि इस संबंध में भूमि सुधार अधिनियम की धारा 4एच. के अन्तर्गत कार्रवाई प्रारंभ की गई थी जिसका वाद सं0-2/83 था और यह वाद बिन्देश्वर साहू के विरुद्ध में प्रारंभ की गई थी लेकिन वे बिन्देश्वर साहू के पक्ष में निर्णय हुआ और 4एच. में कार्रवाई समाप्त कर दी गई।

इस संबंध में प्रतिवादी सरकार की ओर से अंचल अधिकारी, कॉके को सूचना दी गई है कि जिसके आलोक में उन्होंने अपने लिखित प्रतिवेदन समर्पित किया है। अंचल अधिकारी, कॉके ने अपने प्रतिवेन में यह लिखा है कि मॉग पंजी-II के भोलूम-2 के पृष्ठ सं0-25, 26, 27, 28 में चल रही है। यह भी प्रतिवेदित है कि वर्तमान जमाबन्दी रैयतों के नाम से मॉग पंजी-II के खण्ड-1 के पृष्ठ सं0-157 से लिया गया है जहाँ बिन्देश्वर साहू बगैरह पिता सुखलाल का नाम दर्ज है। अंचल अधिकारी ने लिखा है कि पृष्ठ पर मॉग स्थापित होने का कोई आधार अंकित नहीं किया गया है और प्रथम बार रसीद 1969-70 से वर्ष 1990-91 के लिए मात्र काटी गई है।

मौजा दुबलिया के पंजी-II के खण्ड-1 का भी अवलोकन किया गया है। इसका पृष्ठ 47 पर खाता 47 गैरमजरुआ मालिक दर्ज किया गया है। इस प्रकार खाता 47 से संबंधित मूल जमाबन्दी राज्य सरकार के नाम से है जहाँ से बिन्देश्वर साहू का नाम और उनके रकबा 15.10 एकड़ नहीं घटाया गया है।

जमाबन्दी की स्थापना निम्न प्रकार से होती है—

1. ल्यान निर्धारण वाद,
2. नामान्तरण वाद,
3. सरकार द्वारा भूमि बन्दोबस्ती,
4. सरकार द्वारा भूमि हस्तांतरण ।

लेकिन बिन्देश्वर साहू बगैरह के नाम से पृष्ठ 157 पर कायम जमाबन्दी न तो लगान निर्धारण वाद के जरिये निर्धारित हुई और न ही नामांतरण वाद के आधार पर खुला। यह पंजी-II देखने से स्पष्ट होता है क्योंकि उसपर प्रतिवेदन के लिए प्राधिकार कॉलम में कोई वाद संख्या एवं वर्ष का उल्लेख नहीं किया गया है। सरकारी भू-बन्दोबस्ती/हस्तांतरण का भी कोई प्रमाण नहीं दिया गया है। इससे यह स्पष्ट है कि बिन्देश्वर साहू के नाम से यह जमाबन्दी अवैध रूप से राजस्व कर्मचारी के द्वारा कायम की गई और ऐसी कायम जमाबन्दी का कोई वैधिक मान्यता नहीं है।

आवेदकों ने अपने आवेदन में कहा कि प्रश्नगत खेसरा के संबंध में वाद संख्या 2/83 भूमि सुधार अधिनियम की धारा 4(एच) के अन्तर्गत सुनवाई हुआ और निर्णय बिन्देश्वर साहू के पक्ष में हुआ। परन्तु इस संबंध में जो दस्तावेज सुनवाई के दौरान प्रस्तुत किये गये उसमें आदेश फलक नहीं है। इसमें भूमि सुधार उप समाहत्ता, अपर समाहत्ता और उपायुक्त, राँची की कोई मन्तव्य नहीं है।

यह भी महत्वपूर्ण है कि जमाबन्दी रैयतों के विक्रेता बिन्देश्वर साहू को गैरमजरुआ भूमि किस प्रकार हासिल हुई इसका भी प्रमाण नहीं दिया गया है। भूमि सुधार अधिनियम 1950 के प्रावधानों के अनुसार 01.01.1946 के पूर्व बन्दोबस्त भूमि को ही वैध और सत्य माना गया है।

उपरोक्त तथ्यों से यह स्पष्ट है कि बिन्देश्वर साहू के नाम से कायम जमाबन्दी के आधार पर जो नामांतरण महेन्द्र साहू राम प्रसाद महतो, कौशल्या देवी तथा डमरी राम सिंह के नाम से कायम हुए वह भी गलत है। इन चारों जमाबन्दी रैयतों की जमाबन्दी बिन्देश्वर साहू के जमाबन्दी (पंजी-II के खण्ड-1 के पृष्ठ 157) से घटाया गया है। लेकिन जब बिन्देश्वर साहू का मूल जमाबन्दी अवैध एवं अनियमित है तो उस पर आधारित वर्तमान चारों जमाबन्दी रैयतों का नामांतरण और जमाबन्दी भी अवैध है।

अतः उपरोक्त तथ्यों से यह स्पष्ट है कि वर्त्तमान आवेदकों की जमाबन्दी बिन्देश्वर साहू के नाम पर गलत जमाबन्दी के आधार पर कायम है और वर्त्तमान खाता 47 सरकार में निहित है और तदनुसार पंजी-II के खण्ड-1 के पृष्ठ 47 पर गैरमजरूरआ मालिक दर्ज भी है। अंचल अधिकारी, कॉके द्वारा सरकारी पक्ष की उपेक्षा करते हुए चारों जमाबन्दी कायम की गई है।

अतः महेन्द्र साहू राम प्रसाद महतो, कौशल्या देवी और उमरी राम सिंह द्वारा दायर आवेदन अस्वीकृत किये जाते हैं और उनके नाम से कायम जमाबन्दी को भी रद्द करने का आदेश दिया जाता है। साथ ही पंजी-2 के खण्ड-1 के पृष्ठ 157 पर अवैध, अनियमित और आधारहीन बिन्देश्वर साहू के नाम पर कायम जमाबन्दी को भी रद्द करने का आदेश दिया जाता है।

लेखापित एवं संशोधित।

हॉ/-
अपर समाहत्ता,
राँची।